



- 1 -

## समक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

राजस्व अपील प्रकरण कं.- /2016

A. 3980 I-16

बृजराजसिंह वल्द गजराजसिंह

निवासी स्टेशन के पास शहपुरा (भिटौनी)

तहसील शहपुरा (भिटौनी) जिला जबलपुर अपीलार्थी

### विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

2. दीपक कुमार साहू

3. विश्वनाथ साहू

दोनों आत्मज रमेश प्रसाद साहू

निवासी वार्ड नं.6 कटरा भोहल्ला पाटन

तहसील पाटन जिला जबलपुर प्रत्यर्थीगण

### अपील अन्तर्गत धारा 44 म.प्र.भू—राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी न्यायालय कमिशनर जबलपुर संभाग जबलपुर के रा.अ.प्र.क.67 / अ-21 / 14-15 में पारित आदेश दिनांक 30-09-2016 जो कि न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के रा.प्र.क.337 / अ-21 / 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 01-10-2014 से उत्पन्न हुआ है से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत करता है :—

### तथ्य

1.— यह कि अपीलार्थी ग्राम शहपुरा में भारत पेट्रोलियम कंपनी में कार्यरत है। अपीलार्थी के नाम से मौजा बम्होरी प.ह.नं.31 / 70 रा.नि.मं.पाटन तहसील पाटन में ख.नं.101 / 2, 102, 110, 121 रकवा कमशः 0.400, 0.140, 0.050, 0.840 है। कुल रकवा 1.430 है। ग्राम अमरपुर प.ह.नं.22 तहसील पाटन की भूमि ख.नं.201 / 2 रकवा 0.270 है। व मौजा नटवारा प.ह.नं.34 रा.नि.मं.शहपुरा तहसील शहपुरा की भूमि ख.नं. 461 / 1, 461 / 2 रकवा कमशः 0.970, 0.980 है। कुल रकवा 1.950 है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी की पत्नि श्रीमति सुमनबाई के नाम पर

.2..

R  
MS

Bm

**XXXIX(a)BR(H)-11**

दारास्व भण्डल, मध्यप्रदेश, ब्लालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 3980-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिकारी आदि के हस्ताक्षर
५-१२-२०१६	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील कमिशनर, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 67/अ-21/14-16 में पारित आदेश दिनांक 30-09-2016 से व्याख्यित होकर म0प्र0 भू-दारास्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की घारा 44 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम नटवारा प.ह.नं. 34 तहसील शहपुरा जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 461/1, 461/2 रक्षा क्रमांक: 0.97 एवं 0.98 हैक्टर को अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, शहपुरा को जांच हेतु भेजा गया। जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपर्यंत भूमि विक्रय की अनुशांसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदनों में</p>	

R  
AS

(M)

A- 3980. ५/८

बुजराजसिंह विष्ट म0प्प0 ला. ८८८८

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	प्रकल्पकर्ता सह अधिकारक अस्ते इ हस्ताक्षर
	<p>यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदकों द्वारा काय की गई है। कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इकाई किया है कि भूमि निवेश की वस्तु होती है जिसकी कीमतें भविष्य में तेजी से बढ़ने की संभावना है। यह भी आधार लिया गया है कि माह मार्च 2014 में आवेदक का नाम आवेदित भूमि पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया है और उसके तत्काल बाद मई 2014 में विक्रय किए जाने का अनुबंध किया गया है। कलेक्टर का भूमि की कीमत भविष्य में बढ़ने संबंधी उक्त निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित हो सकता है किंतु न्यायिक एवं विधिक दृष्टि से उनका निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि संहिता में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि भविष्य में उसकी कीमत बढ़ने की संभावना हो तो उसके विक्रय की अनुमति नहीं दी जा सकती तथा भूमि पर नाम दर्ज होने के उपरांत तत्काल बाद भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि था आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलेक्टर ने उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है। दरिति परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इकाई किया हैं, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं हैं इस कारण कलेक्टर, जबलपुर का आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का प्रणव है, किन्तु जबलपुर संभाग द्वारा भी उक्त तथ्यों को अनदेखा कर कलेक्टर</p>	<p>प्रकल्पकर्ता सह अधिकारक अस्ते इ हस्ताक्षर</p>

१५

**XXXIX(a)BR(H)-11**

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ब्यालियर**

**प्रकरण क्रमांक – अपील 3980-एक/16**

**जिला – जबलपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>के आदेश की पुष्टि की गई है इस कारण उनके द्वारा पारित आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेकटर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-10-14 एवं कमिशनर, जबलपुर संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-9-16 निरस्त किये जाते हैं एवं यह अपील स्थीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्थानित्व की ग्राम नटवारा प.ह.नं. 34 तहसील शहपुरा जिला जबलपुर स्थित भूमि खसदा नं. 461/1, 461/2 रक्खा क्रमांक 0.97 एवं 0.98 हैल्टर को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाझड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।</li> <li>2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि ( पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके ) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।</li> </ol> <p>पक्षकार सूचित हों।</p> <p><i>(मूल)</i> (एम०प्र० सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ब्यालियर</p> <p><i>P.S.</i></p>	